



प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 08 जून, 2019

- [राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव पुरस्कार](#)
- [गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय](#)
- [नरिवाचन और नयिम 49MA](#)

राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव पुरस्कार, 2019

सांप्रदायिकि सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पात्र व्यक्तियों एवं संगठनों से राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव पुरस्कार, 2019 (National Communal Harmony Awards, 2019) के लिये नामांकन आमंत्रित किये गए हैं।

पात्रता

- व्यक्तित्व श्रेणी में पुरस्कार के लिये 'राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिकि सद्भाव' के क्षेत्र में कम-से-कम दस साल की अवधिक काम कर चुके व्यक्तियों के नामों पर वचिार कयिा जाएगा, जबकि संगठन श्रेणी में 5 साल से अधिक समय तक कार्य करने वाले संगठनों के नामों पर वचिार कयिा जाएगा।

राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव पुरस्कार

- राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव पुरस्कारों की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव संस्थान (National Foundation for Communal Harmony-NFCH) द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी।
- इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी को की जाती है।
- राष्ट्रीय सांप्रदायिकि सद्भाव संस्थान एक स्वायत्त संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पंजीकृत है।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (Multi-Disciplinary Organization) है, इसमें सफेदपोश अपराधों/धोखाधड़ी का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने अथवा इस संदर्भ में संसुतुतिकरने के लिये अकाउंटेंसी/लेखाकर्म (Accountancy), फोरेंसिक ऑडिटिंग (Forensic Auditing), कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), जाँच (Investigation), कंपनी कानून (Company Law), पूंजी बाज़ार (Capital Market) और कराधान (Taxation) के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल कयिा जाता है।

- इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2013 में SFIO के अधिकारियों को जाँच कार्यों में सहायता और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डेटा माइनिंग लेबोरेटरी (Computer Forensic and Data Mining Laboratory-CFDM) की स्थापना की गई।
- भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office-SFIO) की स्थापना की गई। उस समय SFIO को औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office-SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया गया है।
 - SFIO में कंपनी कानून (Company Law) के उल्लंघन के संदर्भ में लोगों को गरिफ्तार करने की शक्तियाँ भी नहिति हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा एक कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी की जाँच की शुरुआत की जा सकती है और नमिनलखिति परस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय को यह कार्य सौंपा जा सकता है:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या नरीकषक की रिपोर्ट के आधार पर।

- एक कंपनी द्वारा पारति वशिष प्रस्ताव की सूचना पर, कउसके मामलों की जाँच कयि जाने की आवश्यकता है।
- जनहति में।
- केंद्र या राज्य सरकार के कसीं भी वभिग के अनुरोध पर।

नरिवाचन और नयिम 49MA

- भारतीय नरिवाचन आयोग (Election Commission Of India) एक नयिम पर पुनः वचिार कर सकता है जसिके अंतरगत यदकि कोई मतदाता ईवीएम (Electronic Voting Machine- EVM) या वीवीपीएटी (Voter Verifiable Paper Audit Trail- VVPAT) मशीन की खराबी के बारे में शकियत करता है और यह शकियत गलत पाई जाती है तो उसके खलिफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है।
- नरिवाचन संहति के नयिम 49MA के तहत यदमतदाता यह दावा करता है कईवीएम या पेपर ट्रेल मशीन द्वारा उसका वोट नहीं पड़ा है तब उस स्थति में उसे टेस्ट वोट डालने की अनुमति दी जाती है।
- अगर मतदाता की शकियत झूठी पाई जाती है, तो चुनाव अधिकारी शकियतकर्त्ता के खलिफ भारतीय दंड संहति की धारा 177 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।
- दंड संहति के इस प्रावधान के अंतरगत मतदाता को छह माह का कारावास या 1000 रुपए का अर्थदंड या दोनों सजा हो सकती है।

पृष्ठभूमि

- नरिवाचन आयोग ने ऐसी समस्याओं से नपिटने हेतु पहले से ही प्रावधान कयि हैं।
- हालौक इन प्रावधानों का प्रयोग बहुत ही वशिषट परस्थतियों में ही कयि जाता है।
- इस प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य ऐसी अफवाहों और शकियतों को नयितरति करना है जो नरिवाचन प्रक्रया को बाधति करती हैं।
- इससे पहले वर्ष 2019 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय के मुखय न्यायाधीश रंजन गोगोई की अधयक्षता वाली एक पीठ ने नयिम 49MA को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर नरिवाचन आयोग से प्रतिक्रया मांगी थी।
- इस याचिका में कहा गया कयिह प्रावधान असंवैधानक है क्योक इसने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में खराबी की शकियत करने वाले को अपराधी बनाने का काम कयि है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-08-06-2019>

